मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग,

76, अरेरा हिल्स, भोपाल.

(प्रस्तुत अपील जिला आयोग, छिंदवाड़ा द्वारा प्रकरण क्रमांक–05/2022 में पारित आदेश दिनांक 28/02/2023 से उद्भूत)

प्रथम अपील क्रमांक–558/2023

राजेश साहू पिता सुमेर साहू,
हनुमान मंदिर के पास, बरारीपुरा,
छिंदवाड़ा थाना, तहसील व जिला छिंदवाड़ा ———— अपीलार्थी

विरूद्ध

1. इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड,
   रजिस्टर्ड ऑफिस इफको सदन सी 1,
   जिला सेन्ट्रल साकेत, नई दिल्ली
2. शाखा प्रबन्धक,
   इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड,
   शाखा कार्यालय गुलाबरा संचार कॉलोनी,
   छिंदवाड़ा, तहसील व जिला छिंदवाड़ा ———— प्रतिअपीलार्थीगण

:: समक्ष ::

माननीय श्री ए.के.तिवारी : कार्यवाहक अध्यक्ष
माननीय डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय : सदस्य

:: पक्षकारगण द्वारा ::

अपीलार्थी की ओर से श्री सुनील नेमा एवं श्री विवेक नेमा अधिवक्ता उपस्थित।
प्रतिअपीलार्थीगण की ओर से हरप्रीत सिंह गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित।

आदेश

(दिनांक 22/07/2024 को पारित)

माननीय सदस्य डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय अनुसार :–

1. प्रश्नाधीन अपील उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 41 के अंतर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, छिंदवाड़ा (संक्षेप में **"जिला आयोग"**) के प्रकरण क्रमांक–05/2022 में पारित आदेश दिनांक 28/02/2023 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी द्वारा दिनांक 06/01/2022 को जिला आयोग के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर दुर्घटनाग्रस्त वाहन की कुल क्षतिपूर्ति राशि 5,45,123/– रूपए ब्याज सहित दिलाने, मानसिक, शारीरिक व आर्थिक क्षति हेतु राशि तथा परिवाद व्यय आदि का अनुतोष चाहा गया था।

3. जिला आयोग द्वारा दिनांक 28/02/2023 को सेवा में कमी प्रमाणित न पाये जाने के कारण परिवाद निरस्त किया गया है।

4. प्रश्नाधीन अपील उक्त आदेश के विरूद्ध परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

5. अपीलार्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क अनुसार उसके द्वारा प्रतिअपीलार्थी बीमा कम्पनी से अपनी स्विफ्ट डिजायर कार का बीमा दिनांक 07/11/2020 से दिनांक 06/11/2021 तक की अवधि के लिए कराया गया था और इस हेतु 15,726/– रूपए बीमा प्रीमियम राशि भी अदा की गई थी। उक्त वाहन दिनांक 10/03/2021 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बीमित वाहन के सम्बन्ध में निर्माता कम्पनी के अधिकृत सर्विसिंग सेंटर कुणाल मोटर्स, छिंदवाड़ा द्वारा उसकी मरम्मत् हेतु 3,93,123/– रूपए का एस्टीमेट प्रदर्श सी–5 दिया गया था।

6. तर्क अनुसार प्रतिअपीलार्थी बीमा कम्पनी द्वारा उसका प्रश्नाधीन दावा इस अनुचित आधार पर निरस्त कर दिया गया कि उसके द्वारा बीमित वाहन का उपयोग टैक्सी के रूप में किया जा रहा था। स्वयं प्रतिअपीलार्थी बीमा कम्पनी के सर्वेयर द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रदर्श डी–2 में वाहन में 1,11,205/– रूपए की क्षति आकलित की गई थी। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि प्रश्नाधीन वाहन दुर्घटना के समय व्यावसायिक प्रयोजन में लाया जा रहा था, तो भी Amalendu Sahoo Vs. Oriental Insurance Company Limited, II (2010) CPJ 9 (SC) के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायदृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में उसे 75 प्रतिशत राशि प्राप्त करने

की पात्रता आती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिला आयोग द्वारा पारित किया गया आदेश निरस्त कर उसे पात्रतानुसार बीमाधन दिलाये जाने का अनुरोध किया गया।

7. प्रतिअपीलार्थी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क अनुसार स्वयं अपीलार्थी/परिवादी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में बीमित वाहन को किराये पर लिये जाने का उल्लेख किया गया है, जिससे प्रमाणित है कि प्रश्नाधीन वाहन दुर्घटना के समय व्यावसायिक उपयोग में लाया जा रहा था।

8. तर्क अनुसार प्रतिअपीलार्थी बीमा कम्पनी के सर्वेयर द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन वाहन दुर्घटना के समय व्यावसायिक उपयोग में लाया जा रहा था। ऐसी स्थिति में बीमा पॉलिसी की शर्तों के स्पष्ट उल्लंघन के कारण प्रश्नाधीन दावा दिनांक 06/08/2021 को प्रदर्श डी–4 अनुसार उचित रूप से निरस्त किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिला आयोग द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत् होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य है।

9. उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया। अभिलेखों पर मनन किया गया।

10. प्रकरण में स्पष्ट है कि स्वयं अपीलार्थी/परिवादी द्वारा बीमित वाहन की दुर्घटना के सम्बन्ध में दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 07/04/2021 प्रदर्श सी–3 में उक्त वाहन को किराये पर लिए जाने का उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित है कि अपीलार्थी/परिवादी द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। उक्त वाहन का बीमित मूल्य प्रदर्श सी–12 अनुसार 3,02,205/– रूपए था।

11. जहां तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Amalendu Sahoo Vs. Oriental Insurance Company Limited, II (2010) CPJ 9 (SC) के प्रकरण का प्रश्न है, उक्त प्रकरण में फण्डामेण्टल ब्रीच न होने की स्थिति में देय क्षतिपूर्ति राशि

के 75 प्रतिशत तक की राशि प्रदाय करने का उल्लेख किया गया है। प्रश्नाधीन प्रकरण में स्वयं अपीलार्थी/परिवादी द्वारा विलम्ब से दर्ज करायी गयी एफआईआर में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि बीमित वाहन किराये पर चलाया जा रहा था। यह यद्यपि फण्डामेण्टल ब्रीच नहीं है, किन्तु बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन अवश्य है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायसंगत होगा कि प्रतिअपीलार्थी बीमा कम्पनी के सर्वेयर द्वारा आकलित क्षति राशि 1,11,205/– रूपए की 60 प्रतिशत राशि अपीलार्थी/परिवादी को प्रदाय की जाए।

12. उपर्युक्त विवेचना एवं न्यायदृष्टांत के प्रकाश में प्रश्नाधीन अपील स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाकर जिला आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/02/2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रतिअपीलार्थी बीमा कम्पनी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने सर्वेयर द्वारा आकलित क्षति की राशि 1,11,205/– रूपए की 60 प्रतिशत राशि का भुगतान अपीलार्थी/परिवादी को जिला आयोग के आदेश दिनांक से 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज सहित 2 माह के भीतर करना सुनिश्चित करे। उक्त अवधि में भुगतान न किये जाने की स्थिति में 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज देय होगा।

13. उक्त अपील का व्यय उभयपक्ष स्वयं अपना–अपना वहन करेंगे।

(ए.के.तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष
म.प्र.राज्य उपभोक्ता विवाद
प्रतितोषण आयोग, भोपाल

(डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय)
सदस्य
म.प्र.राज्य उपभोक्ता विवाद
प्रतितोषण आयोग, भोपाल

गजेन्द्र

<u>प्रथम अपील क्रमांक–558/2023</u>

राजेश साहू

विरूद्ध

इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस

<u>विचारार्थ</u>

(डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय)
सदस्य

माननीय श्री ए.के.तिवारी : **कार्यवाहक अध्यक्ष**

(दिनांक 22/07/2024 को नियत)

(ए.के.तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष